

नं. 66/17 हरीराम vs मोरारज वरुण.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

13-1-23

पत्रावली आज पेश हुई।

वादीगण वकील अनुपस्थित। वादीगण भी अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन बार बार आवाजे
दिलवाये जाने के बावजूद वादीगण स्वयं एवं उनके वकील में
से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई।
फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता
है कि वादीगण स्वयं एवं उनके वकील इस प्रकरण में कोई
रुची नहीं ले रहे हैं।

अतः वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3
सीपीसी के तहत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

